न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 101/2022 तारीख दायर :–13.12.2021 दिनांक निर्णय :–23.02.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1 मदनलाल पुत्र ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
2 राधेश्याम पुत्र ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
3 शिम्भूदयाल पुत्र ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धमरेड़ द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल मदनलाल, राधेश्याम, शिम्भूदयाल पुत्रान ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा ग्राम धमरेड़ की राजकीय सिवायचक गैर मु0 नाला भूमि के आ0ख0न0 1494 रकबा 0.51 हे0 में से रकबा क्रमश 0.35 हे0 भूमि पर फसल रबी सम्वत् 2078 मे सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल मदनलाल, राधेश्याम, शिम्भूदयाल पुत्रान ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी धमरेड की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र शर्मा व एल.एन. माथुर एडवाकेट ने उपस्थित होकर गैरसायल की ओर से वकालतनामा व नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें गैरसायल मदनलाल, राधेश्याम, शिम्भूदयाल पुत्रान ख्यालीराम द्वारा सम्वत 2047 से लगातार बुर्जगान के समय से काश्त करते चले आ रहे है, और समय–समय पर पेनल्टी जमा किया जाना जवाब नोटिस में अंकित किया है। जवाब के सम्बंध में गिरदावर व पटवारी हल्का धमरेड़ की घटना बही की नकल ली गई, जिसमें अतिक्रमी मदनलाल, राधेश्याम, शिम्भूदयाल पुत्रान ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी धमरेड को दिनांक 26.02.2022 को भौतिकरूप से बेदखल किया जा चुका है। धारा 91 की रिपोर्ट के सम्बंध में पटवारी हल्का धमरेड़ के बयान दर्ज किये गये। जिसने अपने बयान में कथन किया है कि अतिक्रमी द्वारा पूर्व में भी फसल खरीफ सम्वत् 2076 में अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को दिनांक 26.02.2022 को बेदखल किया जा चुका है। इस प्रकार अतिक्रमी पश्चात्वृति अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

कार्यालय तहसीलदार

तहसीलदार